राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बरार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बरार

प्रकरण सं. – 26/2014 रे०वा० निर्णय दिनांक – 08.06.2015

अनवान

1. श्री रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
2. श्री देवीसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
3. श्री लुम्बसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
4. श्री बाबू सिंह पुत्र जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
5. श्रीमति धापुदेवी पत्नि नन्दासिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
6. श्री मिठासिंह पुत्र नन्दासिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
7. श्री भगवतसिंह पुत्र नन्दासिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
8. श्री नारायणसिंह पुत्र नन्दासिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
9. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र नन्दासिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
10. श्री जगदीशसिंह पुत्र नन्दासिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
11. श्री ईश्वरसिंह पुत्र नन्दासिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
12. श्री रामसिंह पिता पेमा जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
13. श्रीमति लहरीदेवी पत्नि गिरधारी सिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
14. श्री हजारीसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
15. श्री नाथुसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
16. श्री नैनुसिंह पुत्र भूरसिह जाति रावत निवासी बरार बा० मायलाखेत तहसील भीम।
17. श्री खीमसिंह पुत्र नैनूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम करातिया कुशलपुरा तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार पिता भवरलाल महाजन निवासी बरार तहसील भीम
2. श्री नरेश कुमार पिता भवरलाल महाजन निवासी बरार तहसील भीम
3. श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र भवरलाल महाजन निवासी बरार तहसील भीम
4. श्री कानमल पुत्र भूरालाल महाजन निवासी बरार तहसील भीम
5. श्री सुरेश कुमार पुत्र धर्मी चन्द महाजन निवासी बरार तहसील भीम
6. श्री गोतमचन्द पुत्र धर्मीचन्द महाजन निवासी बरार तहसील भीम
7. श्रीमति रोडीबाई पत्नि धर्मीचन्द महाजन निवासी बरार तहसील भीम
8. श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द।

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए

वादीगण का वाद पत्र निम्नानुसार है:–

वर्तमान सेटलमेन्ट के अनुसार नम्बर			**गत सेटलमेन्ट के अनुसार 1350 फसली**		
खसरा न0	**रकबा**	**किस्म**	**खसरा नम्बर**	**रकबा**	**किस्म**
12898	00.03.00	गै0मु0चाह	7513	00.01.00	गैरचाह

माफिक खेवट खतौनी 1350 फसली के उक्त चाह के खातेदार काश्तकार से कुल 10 हिस्से दर्ज थे। जिनमें से केवल 1 हिस्सा वादीगण के मौरूस नगजी राम वगै0 के खाते दर्ज था। तथा शेष 9 हिस्से प्रतिवादीगण के मौरूस के खाते कब्जे के होकर वे ही उपयोग उपभोग में आज तक करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज हो हिस्सेदार उपयोग एंव उपभोग में लेते चले आ रहे है।

यह कि माफिक खेवट खतोनी 1350 फसली के उक्त चाह में 7 हिस्से के हिस्से पर गांगा पिता सुजा थे जो फौत हो गये, जिनके वारिस वादी संख्या 1 से 2 होकर पक्षकार मुकदमा है तथा खातेदार कुपा व जस्सा, पिता पांचा 1 हिस्से के खातेदार थे जो फौत हो गये तथा उनके वारिस वादी संख्या 17 होकर पक्षकार मुकदमा है तथा 1 हिस्से के खातेदार पेमा भुरा पिता भैरा थे, जो फौत हो गये तथा उनके वारिस वादी संख्या 12 से 16 होकर पक्षकार मुकदमा दर्ज है।

सेटलमेन्ट के समय भूलसे या जान बुझकर वादीगण के मौरूस ने या राजस्व अधिकारी ने उक्त चाह का जिसमें 10 हिस्से होकर केवल 1 हिस्सा वादीगण का था के खाते समस्त चाह दर्ज कर दी व शेष 9 हिस्सेदार खातेदारो का नाम दर्ज होने से रह गया या फिर हटा दिया गया, जिसकी जानकारी हमे ना

Scanned by CamScanner

समक्ष व कम पढे लिखे होने से नही हो पाई जबकि हमें कभी किसी ने रोका टोका नही अतः हम अपने नाम होना जानते व मानते आ रहे है।

गत माह एनएच 8 ब्यावर से बाघाना फोरलेन निर्माण हेतु उक्त भूमि को अवाप्ति करने की जानकारी हुई किन्तु उक्त अवाप्ती प्रपत्र में केवल वादीगणो को ही मांग प्रस्तुत करने का नोटिस जारी हुआ है तो जानकारी करने पर रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि सेटलमेन्ट अधिकारी ने गलती से या जानबुझकर वादीगणो के रिकार्ड को यथावत रिपिट करने के बजाय छोड दिया या भुल गया। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारी को खातेदारी परिवर्तन का अधिकारी नही उसे पूर्व की इण्टरी रिपिट करनी थी।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बरार** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वर्तमान सेटलमेन्ट के अनुसार खसरा नम्बर 12898 रकबा 03 बिस्वा किस्म गै0मु0चाह, गत सेटलमेन्ट के अनुसार 1350 फसली खसरा नम्बर 7513 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0चाह उपरोक्त चाह में से वादी का 9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 8 को जबतक उक्त मुकदमें का निस्तारण न हो तब तक प्रतिवादीगणो को भी मुआवजा अदा नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner